




अंचल कार्यालय, रानीश्वर, दुमका

आदेश फलक

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी के साथ
1	2	3
03/07/2020	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>ई राजस्व न्यायालय का ऑन लाईन केस नं0-2/2016-17 श्री गोपीचरण मंडल ग्राम-महेशखला के जमाबंदी नं0-51 दाग सं0-318 रकवा 37 डि0 जमीन को संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक से जांच प्रतिवेदन की मांग करें। दिनांक-10/07/2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, रानीश्वर। </p>	
10/07/2020	<p>राजस्व उप निरीक्षक/अंचल निरीक्षक का जांच प्रतिवेदन प्राप्त। जांचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि आवेदक श्री गोपीचरण मंडल द्वारा सीमांकन मापी हेतु आवेदित मौजा-महेशखला नं0-36 जमाबंदी नं0-51 के अन्तर्गत दाग सं0-318 का भूमि ऑन लाईन पंजी 2 में दर्ज नहीं पाया गया। जबकि दाग सं0-318 रकवा 0-05-08 धूर जमीन ऑन लाईन पंजी 2 के जमाबंदी नं0-37 में पाया गया। इस प्रकार आवेदक ने गलत जमाबंदी नं0-37 का सीमांकन हेतु आवेदन किया गया है।</p> <p>अतः ऐसी स्थिति में ई-राजस्व न्यायालय वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। एवं निदेश दिया जाता है कि मापी हेतु Jharbhoomi.nic.in पर ऑन लाईन आवेदन करें।</p> <p>लेखापित  अंचल अधिकारी, रानीश्वर।</p> <p style="text-align: right;">  अंचल अधिकारी, रानीश्वर। </p>	

सेवा में,

प्रमाण अंचल अधिकारी,
रानीश्वर (दुमका)

विषय: आवेदक गोपीचरण मंडल, सा०-महेशखाला द्वारा सीमांकन हेतु आवेदित मौजा: महेशखाला न०-36, ज० न०-51, द्वाग न०-318, रकबा-37 डी० भूमि का जंच प्रतिकेदन के संबंध में।

महोदय,

भवदीय आदेशानुसार उपर्युक्त विषय का स्थानीय जंच किया। जंच में पाया कि आवेदक गोपीचरण मंडल द्वारा सीमांकन हेतु आवेदित मौजा: महेशखाला न०-36, ज० न०-51 के अन्तर्गत प्लॉट न०-318 का भूमि ऑनलाईन पंजी ग में दर्ज नहीं पाया गया। जबकि प्लॉट न०-318, रकबा-0-05-08 (पाँच कठ्ठा आठ धूर) का जमीन ऑनलाईन पंजी ग के जमाबन्दी न०-37 में दर्ज पाया गया।

अतः आवेदक द्वारा आवेदित मौजा-महेशखाला न०-36, प्लॉट न०-318, जमाबन्दी से मेल नहीं होने के कारण ऑनलाईन आवेदन को अस्वीकृत किया जा सकता है।

महोदय,

मौजा-महेशखाला न० 36 के विश्वा समाजन द्वाग री० 318 रकबा-00-05-08 जमीन जमाबंदी सं० 37 में दर्ज है। आवेदक ने द्वाग री० 318 का जमाबंदी सं० 37 के आदेश पर - मांगुवाहन - मांगुवाहन किया है जो गलत है। यथा मांगुवाहन का निश्चित तथा अनिश्चित किया जा सकता है।

2 मई
24/07/2020

राजस्व उप निरीक्षक

दुमका न०-84

6-7-2020
26